प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक : 18 जून, 2020

केजीसीसीआई अध्यक्ष, श्री अशोक बन्सल द्वारा अवगत कराया गया है कि चैम्बर द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को अवगत कराया गया था कि प्रदेश में स्थापित अनेक औद्योगिक इकाईयाँ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में अभी तक पंजीकृत नहीं हो पायी हैं। इनमें से काफी इकाईयाँ प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के गठन से पूर्व की तथा कुछ बाद की भी हैं। विभाग भी अभी तक इन इकाईयों से सम्पर्क नहीं कर पाया है जिसके कारण प्रदूषण नियन्त्रण पर भी प्रभावी ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा है।

इस सम्बन्ध में चैम्बर द्वारा माँग की गयी थी कि वर्ष 2019–20 से पूर्व की जो औद्योगिक इकाईयाँ बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं, ऐसी इकाईयों के पंजीकरण हेतु एक समाधान योजना लायी जानी चाहिए। इससे सभी अपंजीकृत उद्योग बोर्ड से जुड़ जायेंगे एवं प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से नियन्त्रण पाने में भी विभाग को सहायता मिलेगी।

चैम्बर की माँग पर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के जल तथा वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किए जाने हेतु पूर्व वर्षों के सहमति शुल्कों के अत्यधिक भार को देखते हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के सहमति शुल्क के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि उक्त उद्योगों के वर्ष 2002 से पूर्व के सहमति शुल्क पर शत प्रतिशत छूट दी जाए तथा वर्ष 2002 के पश्चात शुल्क में विलम्ब शुल्क तथा ब्याज आरोपित न किया जाए। यह व्यवस्था कोरोना महामारी के चलते दिनाँक 31.03.2020 से अग्रेतर विस्तारित करते हुए दिनाँक 30 जून, 2020 तक कर दी गयी है। दिनाँक 30 जून, 2020 के पश्चात सहमति हेतु आवेदन किए जाने पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार उद्योग की स्थापना के पश्चात प्रतिवर्ष विलम्ब शुल्क तथा 10 प्रतिशत का चक्रवर्ती ब्याज आरोपित किया जाएगा।

केजीसीसीआई अध्यक्ष श्री अशोक बन्सल ने उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का सदसय होने के नाते राज्य के सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से आग्रह किया गया है कि वे एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन करके प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें। अधिक जानकारी के लिए उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों व केजीसीसीआई के मोबाईल नं0 9927134002 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

अशोक बन्सल
अध्यक्ष